



प्रारूप 2 (नियम 11(4) देखिए)

आवेदन क्रमांक/स्कूल क्रमांक : 141269/
31879

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (सागर), मध्यप्रदेश

स्कूल: MASCOT PUBLIC
SCHOOLTULSINAGAR

मान्यता का प्रकार - नवीनीकरण मान्यता / नवीन मान्यता

Validity unknown

Digitally signed by
Date: 2022.04.18 22:22:03 +05:30
Reason: Issued By: deo sagar

सत्र - 2022-23

प्रति,

प्रबंधक (MASCOT PUBLIC SCHOOLTULSINAGAR)

विषय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकारी अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 09/02/2022 तथा इस संबंध में स्कूल से पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार / निरक्षण के सन्दर्भ में, मैं आपकी स्कूल - MASCOT PUBLIC SCHOOLTULSINAGAR डाइस कोड - 23111021211 स्कूल क्रमांक - PS 31879 को कक्षा प्री प्राइमरी-नर्सरी से आठवीं तक के लिए दिनांक 01/04/2022 से 31/03/2025 तक कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन होगी :-

- मान्यता विस्तारित नहीं होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता/ संबद्धता की कोई बाध्यता किसी भी रूप में विवक्षित नहीं होगी
- स्कूल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपबंध 1) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम (उपबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- स्कूल, अपने पड़ोसी की सीमा के वंचित समूह तथा कमजोर वर्ग के बालकों को कक्षा 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दशा में, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवेशित बालकों को उस अनुपात में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके वार्षिक आवर्ती व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार वार्षिक आवर्ती सहायता या अनुदान प्राप्त होता है किन्तु यह न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत के अधीन होगा बशर्ते कि जहां स्कूल पूर्व स्कूल (प्री स्कूल) शिक्षा दी जाती है वहाँ अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (क) से (ग) के उपबंध प्री-स्कूल में प्रवेश के लिए लागू होंगे।
- पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12(2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा एसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को पृथक से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा।
- सोसाइटी/स्कूल कोई भी कैंपिटेशन फीस क संग्रह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अभिभावक के साथ किसी छानबीन प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा।
- स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा -
 - 0 (क) आयु के सबूत के आभाव में ;
 - 0 (ख) यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालावधि के पश्चात ऐसा प्रवेश चाहा गया है;
 - 0 (ग) धर्म, जाति या मूलवंश, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर।
- स्कूल सुनिश्चित करेगा कि -
 - 0 किसी स्कूल में प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक को किसी कक्षा में रोका या निष्कासित नहीं किया जाएगा
 - 0 किसी बालक को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा;
 - 0 प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी ;
 - 0 नियम 19 के अधीन प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा;
 - 0 अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशुल्क/विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समाहित किया जाएगा
 - 0 अधिनियम की धारा 23(1) कि अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी; बशर्ते कि वर्तमान में कार्यरत जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर न्यूनतम आर्हता नहीं रखते हैं, उन्हें अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि में निर्धारित न्यूनतम आर्हता प्राप्त करनी होगी
 - 0 शिक्षकों को अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनियमित कर्तव्यों का पालन करना होगा
 - 0 प्रायवेट टीचिंग कि गतिविधियों में शिक्षक स्वयं भाग नहीं लेंगे/लेंगी
- स्कूल समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा
- अधिनियम की धारा 19 में विहित किए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधा के अनुपात में स्कूल में बच्चों का नामांकन किया

Principal
Mascot Public School

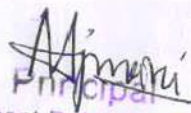
Manager
Mascot Public School

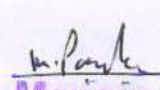
* स्कूल द्वारा अधिनियम कि धारा 19 में विनिर्दिष्ट स्कूल के मानक एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएंगे | अंतिम निरीक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं निम्नानुसार पाई गई :-

स्कूल का विवरण										
स्कूल	डाइस कोड	शैक्षणिक सत्र	जिला	क्षेत्र का प्रकार	विकास खण्ड(ब्लॉक)	ग्राम / वार्ड	पिन कोड	पुलिस थाना	रेखांश	अक्षांश
MASCOT PUBLIC SCHOOLT ULSINAG AR	231110 21211	17	सागर	ग्रामीण	SAGAR	Patheriya Hat	470002	थाना मोती नगर	23.85 4689 6	78.689 6857

स्कूल की सामान्य जानकारी	
स्कूल प्रारंभ होने की तिथि	01/07/2008
क्या स्कूल किसी सोसाइटी/न्यास/संगठन द्वारा संचालित है?	हाँ
सोसाइटी/न्यास/संगठन का नाम	SHRI GOUR HARI VIRHI SHIKSHA SAMITI ,BADA BAZAR, SAGAR
सोसाइटी/न्यास/संगठन का पंजीयन क्रमांक	05201/06
स्वामी का नाम	
स्कूल के प्रबंधक/ अध्यक्ष/ सभापति का नाम	Mr. MAYANK PANDA
पदनाम	MANAGER
मोबाइल	9981900796
ई-मेल	mascotpublicschool@gmail.com
कार्यालय का पता	MOHAN NAGAR WARD ,BADA BAZAR SAGAR MP
कार्यालय का दूरभाष	9981900796

स्कूल की प्रकृति	
शिक्षण का माध्यम	Hindi+English
मान्यता हेतु स्कूल का प्रकार	सहशिक्षा
क्या स्कूल आवासीय है?	नहीं
क्या स्कूल केवल दिव्यांग बच्चों हेतु संचालित है?	नहीं
क्या स्कूल को अल्पसंख्यक होने का प्रमाण पत्र जारी किया गया है?	नहीं
प्रवेश की प्रारंभिक कक्षा	प्री प्राइमरी-नर्सरी
प्रारंभिक कक्षा में प्रवेश की न्यूनतम आयु	3
स्कूल की अंतिम कक्षा	आठवीं
क्या स्कूल को शासन / स्थानीय प्राधिकारी अनुदान प्राप्त है?	नहीं
क्या स्कूल मान्यता प्राप्त है?	हाँ
प्राधिकारी का नाम	DISTRICT EDUCATION OFFICER SAGAR
मान्यता क्रमांक	11066132
डाइस कोड(DISE)	


Principal
Mascot Public School


Manager
Mascot Public School

क्या स्कूल राज्य सरकार/ केंद्र सरकार / स्थानीय प्राधिकारी से नहीं निःशुल्क अथवा रियायती दर पर किसी भूमि, भवन, उपकरण अथवा अन्य सुविधाएं प्राप्त होने के कारण निश्चित संख्या में बलकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने हेतु बाध्य है?

स्कूल का क्षेत्रफल	
विवरण	आवेदन में दर्ज
खेल मैदान का क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	50000
स्कूल का निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	30000
स्कूल का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	87120
स्कूल के भवन की स्थिति	स्वयं का भवन

अधोसंरचना का विवरण		
विवरण	संख्या	औसत आकार(वर्ग फिट में)
कक्षा आठवीं तक उपयोग में आ रहे कक्षा कक्ष	15	500
कार्यालय कक्ष-सह-भण्डार कक्ष-सह-प्रधानाध्यापक कक्ष	2	500
कार्यालय कक्ष-सह-भण्डार कक्ष-सह-प्रधानाध्यापक कक्ष	2	500
भोजनालय-सह-भण्डार	1	400

पाठ्यचर्चा एवं पाठ्यक्रम का विवरण	
विवरण	बोर्ड

स्कूल में उपलब्ध अन्य सुविधाओं का विवरण		
विवरण	आवेदन में दर्ज	फोटो
क्या सभी सुविधाओं तक पहुंच बाधा रहित है	हाँ	
पठन पाठन सामग्री की हस्ताक्षरित सूची	हाँ	
खेलकूद एवं खेल उपकरण की हस्ताक्षरित सूची	हाँ	
पुस्तकों की संख्या	300	
पत्रिकाएं/समाचार पत्र	2	
पेयजल सुविधा का प्रकार	Pipe Water	
पेयजल सुविधा की संख्या	10	
शौचालय का प्रकार (भारतीय/पश्चिमी/नहीं)	Indian	
लड़कों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या	5	
लड़कियों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या	5	
विकलांग बच्चों के लिए उपयुक्त शौचालयों की संख्या	1	
क्या अग्नि सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध है	हाँ	

नामांकन एवं शुल्क का विवरण			
कक्षा	कुल सीट	कुल नामांकित छात्र	स्कूल द्वारा आरक्षित सीटें
वार्षिक शुल्क			

Principal
Mascot Public School

Manager
Mascot Public School

विद्यालय के प्राचार्य अथवा ट्रस्ट/सोसायटी के अध्यक्ष/प्रबन्धक का प्रमाणीकरण

विवरण	हाँ / नहीं
प्रमाणित किया जाता है कि स्कूल ने राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा संचारित वेबसाइट पर उपरोक्त वर्णित जानकारी भी दर्ज करा दी है।	हाँ
प्रमाणित किया जाता है कि समुचित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी किसी अधिकारी के निरीक्षण के लिए स्कूल खुला रहेगा।	हाँ
प्रमाणित किया जाता है कि स्कूल ऐसी रिपोर्ट एवं जानकारी, जो कि अपेक्षित की जाए, जिला शिक्षा अधिकारी को समय समय पर दिए जाने और स्कूल की मान्यता की शर्तों की पूर्ति की निरंतरता बनाए रखने या स्कूल के कार्य में आने वाली कमियों को दूर करने के लिए समुचित प्राधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी ऐसे अनुदेशों के पालन का वचन देता है।	हाँ
प्रमाणित किया जाता है कि स्कूल द्वारा इस अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित अभिलेख जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या समुचित अधिकारी को निरीक्षण के लिए किसी भी समय दिए जाएंगे तथा स्कूल, यथास्थिति, संसद या राज्य की विधानसभा के प्रति जवाबदेही या कर्तव्य के निर्वहन के लिए केन्द्र और/या राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी या प्रशासन को समस्त ऐसी जानकारियां, जो कि आवश्यक हों, प्रस्तुत करेगा।	हाँ
विद्यालय, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अधिकथित मान्यता की शर्तों का पालन करेगा।	हाँ

मान्यता संबंधी दस् तावेज

विवरण	अपलोड है (हाँ / नहीं)
-------	-----------------------

स्कूल द्वारा संचालित पुस्तकों की जानकारी

कक्षा	विषय	पुस्तक	लेखक	आईएसबीएन न.	अधिकतम खुदरा मूल्य
-------	------	--------	------	-------------	--------------------

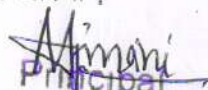
अध्यापन कर्मचारियों का विवरण

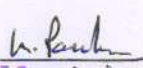
शिक्षक का नाम	पिता / पति का नाम	जन्मतिथि	शैक्षणिक अर्हता विषय सहित	व्यावसायिक अर्हता	अध्यापन अनुभव(महीनों में)	नियुक्ति दिनांक	कक्षा जिसमें पढ़ाते हैं
---------------	-------------------	----------	---------------------------	-------------------	---------------------------	-----------------	-------------------------

अधिनियम की धारा 12(1)(ग) के प्रयोजन के लिए पड़ोस की सीमा

ग्राम / वार्ड	पड़ोस का प्रकार
---------------	-----------------

- लेखे संपरीक्षित किए जाएंगे तथा चार्टर्ड अकाउंट द्वारा स्त्यपित होंगे और उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार होगा | प्रत्येक लेखाओं के विवरण कि एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी |
- आपकी स्कूल का मान्यता कोड नंबर **31879** एवं डाइसकोड (DISE) **23111021211** है | इस कार्यालय के साथ पत्राचार में यह कोड नंबर संदर्भित किए जाएँ
- ऐसी रिपोर्ट और जानकारी स्कूल द्वारा प्रस्तुत कि जाएगी, जो राज्य शिक्षा केंद्र/ जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय –समय पर अपेक्षित कि जाए, और स्कूल राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनु अनुदेशों का पालन करेगा, जैसा कि स्कूल के संचालन कि कमियों को दूर करने के लिए अथवा मान्यता कि शर्तों कि निरन्तर पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जारी किए जाए |
- सोसायटी/न्यास, यदि कोई हो, के पंजीयन का नवीकरण किया जाएगा |
- अन्य शर्तें संलग्न उपाबंध "तीन" के अनुसार होंगी |
- अधिनियम एवं नियम के उपबंधों और मान्यता की शर्तों का उल्लघन पाये जाने तथा सिद्ध हों जाने पर मान्यता वापस ले ली जाएगी |


Principal
Mascot Public School


Manager
Mascot Public School

भवदीय

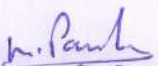
हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा

नाम

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला - सागर

जिला शिक्षा अधिकारी
सागर (म. प्र.)


Manager
Mascot Public School


Principal
Mascot Public School



कार्यालय, लोक शिक्षण संचालनालय,
संभाग - सागर,
मध्य प्रदेश
(मान्यता नवीनीकरण प्रमाण पत्र)



क्रमांक: CERT14885/2021/242282

SAGAR दिनांक: 23-09-2022

प्रति,

MASCOT PUBLIC SCHOOL

विषय - मान्यता नवीनीकरण प्रमाण पत्र जारी करने विषयक

मध्य प्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा मान्यता नियम 2017 के नियम (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपके आवेदन पत्र क्र. 242282 दिनांक 28-12-2020 प्रस्तुत की गयी जानकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी जिला SAGAR के द्वारा किये गए परीक्षण के आधार पर हाई स्कूल (HS) स्कूलों की मान्यता का नवीनीकरण किया जाता है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

शाला का नाम: MASCOT PUBLIC SCHOOL

शाला का DISE कोड: 23111021211

शाला का प्रकार: हाई स्कूल (HS)

माध्यम: English

वैधता सत्र: 2025-26

- स्कूल उन्हीं कक्षाओं व संकायों में प्रवेश दे सकेगा, जिनके लिए उन्हें मान्यता दी गई है।
- सक्षम अधिकारी द्वारा मान्यता या उसके विस्तार संबंधी जारी प्रमाण - पत्र प्राचार्य कक्ष में प्रदर्शित किया जायेगा।
- स्कूल में कार्यरत प्राचार्य एवं अन्य शिक्षक एवं कर्मचारी किसी भी प्रकार की राजनैतिक गतिविधि में सम्मिलित नहीं होंगे और स्कूल द्वारा छात्रों को किसी भी राजनैतिक गतिविधियों में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- स्कूल, कार्यकरण के लिए आवश्यक विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों के तैरे और अन्य ऐसे समुचित अभिलेखों का संचालन करेगा। विभाग के अधिकारी आकस्मिक रूप से कभी भी इन अभिलेखों का निरीक्षण कर सकेंगे।
- स्कूल में अद्यतन छात्रों के पालकों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु "पालक-शिक्षक संघ" का गठन किया जायेगा।
- स्कूल, श्रेष्ठ अकादमिक गुणवत्ता के मापदण्ड प्राप्त करने हेतु सतत प्रयास करेगा। प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि में समस्त शिक्षकों को उनके सम्बंधित विषय में कम से कम एक बार प्रशिक्षित किया जायेगा।
- समय निरीक्षण के पश्चात एक बार मान्यता प्रदान कर दिए जाने पर सोसायटी/ट्रस्ट मान्यता के समय दावाकृत किन्हीं भी मापदण्डों को परिवर्तित नहीं करेगा। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी किसी भी समय स्कूल परिसर का निरीक्षण कर सकते हैं। यदि निरीक्षण के समय यह पाया जाता है कि सोसायटी/ट्रस्ट किन्हीं मापदण्डों का पालन नहीं कर रहा है तो संभागीय संयुक्त संचालक को नियम 11 के उपनियम 1) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए स्कूल की मान्यता निर्र्णय करने और पश्चातवर्ती इसे वापस लेने की शक्ति होगी।
- यदि नियम 5 और 9 के अधीन विहित मानकों, शर्तों और उत्तरदायित्वों तथा समय-समय पर जारी निर्देशों एवं मार्गदर्शन का प्रथम दृष्टया पालन नहीं किया जाना पाया जाता है तो अधीक्षक/अधिकारी को जाँच के आधार पर स्कूल की मान्यता निर्र्णय करने की शक्ति होगी।
- कारण बताओ सूचना पर जारी किए जाने की दशा में यदि सोसायटी/ट्रस्ट से प्राप्त उत्तर से संभागीय संयुक्त संचालक का समाधान नहीं होता है तो वह सम्बंधित को सूचना देकर अवसर प्रदान करने के पश्चात स्कूल की मान्यता उसके कारण विनिर्दिष्ट करते हुए रद्द कर सकेगा।
- मान्यता के प्रत्याहार होने पर प्रस्तुत की गई सुझाव निधि को पूर्णतः या अंशतः जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए सम्पूत हो जायेगी।
- माध्यमिक शिक्षा मंडल से सम्बद्धता प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

Ammi
Principal
Mascot Public School

M. P. Singh
Manager
Mascot Public School

संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण,
संभाग-सागर,
मध्य प्रदेश

Signature valid

Digitally Signed By MANEESH WERMA
(Personal)

Date: 23-Sep-2022 16:38:16 IST



लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश
(नवीन मान्यता प्रमाण पत्र)



क्रमांक: CERT10479/2022/DPI2210136

SAGAR, दिनांक : 01-08-2022

प्रति,
MASCOT PUBLIC SCHOOL

विषय - नवीन मान्यता प्रमाण पत्र जारी करने विषयक

मध्यप्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शाला मान्यता नियम 2017 के नियम (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपके आवेदन पत्र क्र. DPI2210136 दिनांक 10-11-2021 में प्रस्तुत की गयी जानकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी जिला SAGAR के द्वारा किये गए परीक्षण के आधार पर हायर सेकेंडरी (HSS) स्कूलों की नवीन मान्यता प्रदान की जाती है जिसका विवरण निम्नानुसार है :

शाला का नाम : MASCOT PUBLIC SCHOOL

शाला का DISE कोड : 23111021211

शाला का प्रकार : हायर सेकेंडरी (HSS)

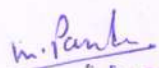
माध्यम : English

वैधता सत्र (पाच वर्ष) : 2026-27

समूह संकाय : Art Science Commerce Agriculture

- स्कूल उन्ही कक्षाओं व संकायों में प्रवेश दे सकेगा, जिनके लिए उन्हें मान्यता दी गई है।
- सक्षम अधिकारी द्वारा मान्यता या उसके विस्तार संबंधी जारी प्रमाण - पत्र प्राचार्य कक्ष में प्रदर्शित किया जायेगा।
- स्कूल में कार्यरत प्राचार्य एवं अन्य शिक्षक एवं कर्मचारी किसी भी प्रकार की राजनैतिक गतिविधि में सम्मिलित नहीं होंगे और स्कूल द्वारा छात्रों को किसी भी राजनैतिक गतिविधियों में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- स्कूल, कार्यकरण के लिए आवश्यक विद्याथियों एवं कर्मचारियों के लेखे और अन्य ऐसे समुचित अभिलेखों का संधारण करेगा। विभाग के अधिकारी आकस्मिक रूप से कभी भी इन अभिलेखों का निरीक्षण कर सकेंगे।
- स्कूल में अध्ययनरत छात्रों के पालकों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु "पालक-शिक्षक संघ" का गठन किया जावेगा।
- स्कूल, श्रेष्ठ अकादमिक गुणवत्ता के मापदण्ड प्राप्त करने हेतु सतत प्रयास करेगा। प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि में समस्त शिक्षकों को उनके सम्बंधित विषय में कम से कम एक बार प्रशिक्षित किया जायेगा।
- समय निरीक्षण के पश्चात् एक बार मान्यता प्रदान कर दिए जाने पर सोसायटी/ट्रस्ट मान्यता के समय दावाकृत किसी भी मापदण्डों को परिवर्तित नहीं करेगा। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी किसी भी समय स्कूल परिसर का निरीक्षण कर सकते हैं। यदि निरीक्षण के समय यह पाया जाता है कि सोसायटी/ट्रस्ट किसी मापदण्डों का पालन नहीं कर रहा है तो संभागीय संयुक्त संचालक को नियम 11 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए स्कूल की मान्यता निलंबित करने और पश्चात्तर्ती इसे वापस लेने की शक्ति होगी।
- यदि नियम 5 और 9 के अधीन विहित मानकों, शर्तों और उत्तरदायित्वों तथा समय-समय पर जारी निर्देशों एवं मार्गदर्शन का प्रथम दृष्टया पालन नहीं किया जाता है तो अर्धहस्ताक्षरकर्ता को जाँच के आधार पर स्कूल की मान्यता निलंबित करने की शक्ति होगी।
- कारण बताओ सूचना पर जारी किए जाने की दशा में यदि सोसायटी/ट्रस्ट से प्राप्त उत्तर से संभागीय संयुक्त संचालक का समाधान नहीं होता है तो वह सम्बंधित को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् स्कूल की मान्यता उसके कारण विनिर्दिष्ट करते हुए रद्द कर सकेगा।
- मान्यता के प्रत्याहरण होने पर प्रस्तुत की गई सुरक्षा निधि को पूर्णतः या अंशतः जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए सम्पूत हो जाएगी।
- माध्यमिक शिक्षा मंडल से सम्बद्धता प्राप्त करना अनिवार्य होगा।


Principal
Mascot Public School


Manager
Mascot Public School

आयुक्त, लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश

Signature valid
Digitally Signed By Abhay Kumar Verma
(Personal)
Date : 01-Aug-2022 15:39:39 IST